

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
मांग संख्या 12  
औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

( ₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	3526.70	526.94	4053.64	5430.56	709.67	6140.23	5422.23	718.00	6140.23	5001.79	672.72	5674.51
<b>वसूलियां</b>	-4.70	...	-4.70	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>3522.00</b>	<b>526.94</b>	<b>4048.94</b>	<b>5430.56</b>	<b>709.67</b>	<b>6140.23</b>	<b>5422.23</b>	<b>718.00</b>	<b>6140.23</b>	<b>5001.79</b>	<b>672.72</b>	<b>5674.51</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	71.15	...	71.15	99.00	...	99.00	95.48	...	95.48	104.65	...	104.65
2. <b>बौद्धिक संपदा</b>												
2.01 बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण	92.28	31.94	124.22	83.53	1.67	85.20	98.50	18.00	116.50	112.52	65.23	177.75
2.02 बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड सुदृढीकरण स्कीम	5.24	...	5.24	15.95	8.00	23.95	6.00	...	6.00	7.65	7.39	15.04
2.03 पेटेंट डिजाइन और ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक	56.17	...	56.17	70.00	...	70.00	76.91	...	76.91	87.67	...	87.67
2.04 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान	1.22	...	1.22	2.65	...	2.65	2.21	...	2.21	2.69	...	2.69
2.05 अर्ध-चालक एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	0.01	...	0.01
2.06 अर्ध-चालक एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन बोर्ड	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...	0.01	...	0.01
2.07 बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान प्रकोष्ठ	3.25	...	3.25	7.00	...	7.00	5.82	...	5.82	8.96	...	8.96
2.08 कॉपीराइट कार्यालय	6.87	...	6.87	4.10	...	4.10	3.68	...	3.68	3.70	...	3.70
2.09 कॉपीराइट बोर्ड	0.07	...	0.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.10 कॉपीराइट और आईपीआर का संवर्धन	...	...	...	8.00	...	8.00	1.20	...	1.20	4.40	...	4.40
<b>जोड़- बौद्धिक संपदा</b>	<b>165.10</b>	<b>31.94</b>	<b>197.04</b>	<b>192.33</b>	<b>9.67</b>	<b>202.00</b>	<b>194.32</b>	<b>18.00</b>	<b>212.32</b>	<b>227.61</b>	<b>72.62</b>	<b>300.23</b>
3. <b>संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय</b>												
3.01 पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन	45.76	...	45.76	83.70	...	83.70	77.16	...	77.16	83.27	...	83.27
3.02 नमक आयुक्त	29.31	...	29.31	35.00	...	35.00	32.20	...	32.20	37.61	...	37.61
3.03 प्रशुल्क आयोग	7.19	...	7.19	8.00	...	8.00	7.50	...	7.50	8.53	...	8.53
3.04 वॉयलर सर्वेक्षण	0.24	...	0.24	0.30	...	0.30	0.20	...	0.20	0.27	...	0.27
<b>जोड़- संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय</b>	<b>82.50</b>	<b>...</b>	<b>82.50</b>	<b>127.00</b>	<b>...</b>	<b>127.00</b>	<b>117.06</b>	<b>...</b>	<b>117.06</b>	<b>129.68</b>	<b>...</b>	<b>129.68</b>

( ₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>318.75</b>	<b>31.94</b>	<b>350.69</b>	<b>418.33</b>	<b>9.67</b>	<b>428.00</b>	<b>406.86</b>	<b>18.00</b>	<b>424.86</b>	<b>461.94</b>	<b>72.62</b>	<b>534.56</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
4. भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी)	166.21	...	166.21	500.00	...	500.00	240.00	...	240.00	458.00	...	458.00
5. औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूस)	75.00	...	75.00	200.00	...	200.00	83.81	...	83.81	100.00	...	100.00
6. मूल्य एवं उत्पादन आंकड़े	6.41	...	6.41	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	7.33	...	7.33
<b>राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर</b>												
7. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी)	797.00	...	797.00	1097.00	...	1097.00	1097.00	...	1097.00	850.00	...	850.00
8. अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना (एकेआईसी)	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	2.70	...	2.70
9. प्रदर्शनी-सह-अभिसमय केन्द्र, द्वारका	...	495.00	495.00	0.01	699.99	700.00	0.01	699.99	700.00	0.01	500.10	500.11
<b>जोड़-राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर</b>	<b>800.00</b>	<b>495.00</b>	<b>1295.00</b>	<b>1100.01</b>	<b>699.99</b>	<b>1800.00</b>	<b>1100.01</b>	<b>699.99</b>	<b>1800.00</b>	<b>852.71</b>	<b>500.10</b>	<b>1352.81</b>
<b>मेक इन इंडिया</b>												
10. निवेश संवर्धन हेतु योजना	174.03	...	174.03	253.48	...	253.48	110.00	...	110.00	232.02	...	232.02
11. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन की स्कीम	6.06	...	6.06	9.23	...	9.23	2.00	...	2.00	8.47	...	8.47
12. व्यापार करने की सुगमता (ई-विज परियोजना)	3.86	...	3.86	7.00	...	7.00	7.50	...	7.50	106.40	...	106.40
13. निधियों का कोष	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	100.00	100.00
14. क्रेडिट गारंटी निधि	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
15. स्टार्ट-अप इंडिया	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	28.00	...	28.00	25.00	...	25.00
16. व्यापार करने की सुगमता	4.35	...	4.35	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.40	...	1.40
<b>जोड़-मेक इन इंडिया</b>	<b>198.30</b>	<b>...</b>	<b>198.30</b>	<b>281.22</b>	<b>0.01</b>	<b>281.23</b>	<b>149.00</b>	<b>0.01</b>	<b>149.01</b>	<b>373.30</b>	<b>100.00</b>	<b>473.30</b>
<b>पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास</b>												
17. पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी)	782.99	...	782.99	528.00	...	528.00	528.00	...	528.00	483.53	...	483.53
18. परिवहन/ माल भाड़ा सव्मिडी स्कीम	599.71	...	599.71	400.00	...	400.00	1034.27	...	1034.27	293.31	...	293.31
19. विशेष श्रेणी के राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज	113.94	...	113.94	145.00	...	145.00	145.00	...	145.00	133.00	...	133.00
20. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में औद्योगिक इकाइयों को व्याज सव्मिडी	...	...	...	100.00	...	100.00	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास</b>	<b>1496.64</b>	<b>...</b>	<b>1496.64</b>	<b>1173.00</b>	<b>...</b>	<b>1173.00</b>	<b>1707.27</b>	<b>...</b>	<b>1707.27</b>	<b>909.84</b>	<b>...</b>	<b>909.84</b>
21. पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों के लिए केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी	169.39	...	169.39	1500.00	...	1500.00	1500.00	...	1500.00	1700.00	...	1700.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>2911.95</b>	<b>495.00</b>	<b>3406.95</b>	<b>4762.23</b>	<b>700.00</b>	<b>5462.23</b>	<b>4788.09</b>	<b>700.00</b>	<b>5488.09</b>	<b>4401.18</b>	<b>600.10</b>	<b>5001.28</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
22. स्वायत्त संगठन												
22.01 स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता	223.14	...	223.14	178.16	...	178.16	156.00	...	156.00	72.90	...	72.90
22.02 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन	0.60	...	0.60	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65	0.60	...	0.60
22.03 एशियाई उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक	14.35	...	14.35	14.35	...	14.35	14.35	...	14.35	13.15	...	13.15

( ₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
विकास संगठन												
22.04 स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	57.91	...	57.91	56.84	...	56.84	56.28	...	56.28	52.02	...	52.02
जोड़- स्वायत्त संगठन	296.00	...	296.00	250.00	...	250.00	227.28	...	227.28	138.67	...	138.67
<b>अन्य</b>												
23. वास्तविक वसूली	-4.70	...	-4.70	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>291.30</b>	<b>...</b>	<b>291.30</b>	<b>250.00</b>	<b>...</b>	<b>250.00</b>	<b>227.28</b>	<b>...</b>	<b>227.28</b>	<b>138.67</b>	<b>...</b>	<b>138.67</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>3522.00</b>	<b>526.94</b>	<b>4048.94</b>	<b>5430.56</b>	<b>709.67</b>	<b>6140.23</b>	<b>5422.23</b>	<b>718.00</b>	<b>6140.23</b>	<b>5001.79</b>	<b>672.72</b>	<b>5674.51</b>
<b>ख. विकासात्मक शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	45.76	...	45.76	83.70	...	83.70	77.16	...	77.16	83.27	...	83.27
2. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	31.94	31.94	...	9.67	9.67	...	18.00	18.00	...	72.62	72.62
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>45.76</b>	<b>31.94</b>	<b>77.70</b>	<b>83.70</b>	<b>9.67</b>	<b>93.37</b>	<b>77.16</b>	<b>18.00</b>	<b>95.16</b>	<b>83.27</b>	<b>72.62</b>	<b>155.89</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
3. उद्योग	774.90	...	774.90	1261.97	...	1261.97	725.16	...	725.16	1116.76	...	1116.76
4. उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2461.33	...	2461.33	2705.05	...	2705.05	3239.32	...	3239.32	2514.05	...	2514.05
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	71.15	...	71.15	99.00	...	99.00	95.48	...	95.48	104.65	...	104.65
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	168.86	...	168.86	192.08	...	192.08	196.35	...	196.35	226.06	...	226.06
7. अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	495.00	495.00	...	700.00	700.00	...	700.00	700.00	...	600.10	600.10
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>3476.24</b>	<b>495.00</b>	<b>3971.24</b>	<b>4258.10</b>	<b>700.00</b>	<b>4958.10</b>	<b>4256.31</b>	<b>700.00</b>	<b>4956.31</b>	<b>3961.52</b>	<b>600.10</b>	<b>4561.62</b>
<b>अन्य</b>												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1088.76	...	1088.76	1088.76	...	1088.76	957.00	...	957.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>1088.76</b>	<b>...</b>	<b>1088.76</b>	<b>1088.76</b>	<b>...</b>	<b>1088.76</b>	<b>957.00</b>	<b>...</b>	<b>957.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>3522.00</b>	<b>526.94</b>	<b>4048.94</b>	<b>5430.56</b>	<b>709.67</b>	<b>6140.23</b>	<b>5422.23</b>	<b>718.00</b>	<b>6140.23</b>	<b>5001.79</b>	<b>672.72</b>	<b>5674.51</b>

1. **सचिवालय:** औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय हेतु प्रावधान करता है।
- 2.01. **बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण:** यह प्रावधान पेटेंट कार्यालय, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, डिजाइन कार्यालय और भौगोलिक निदर्शन रजिस्ट्री के आधुनिकीकरण की समग्र योजना के लिए है।
- 2.02. **बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड सुदृढीकरण स्कीम:** इसे पेटेंट नियंत्रक तथा व्यापार चिह्न और भौगोलिक निदर्शन रजिस्ट्री के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के लिए स्थापित किया गया है। आईपीएवी उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार को प्रतिस्थापित करता है। बजट प्रावधान में बोर्ड के वेतन और अन्य संस्थापन संबंधी व्यय की आवश्यकता के लिए व्यवस्था है।

2.03. **पेटेंट डिजाइन और ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक:** यह कार्यालय औद्योगिक संपदा अधिकारों नामतः पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999, भौगोलिक निदर्शन अधिनियम, 1999, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 तथा अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिविन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 से संबंधित कानूनों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।

2.04. **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान:** बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शैक्षिक अनुसंधान की व्यवस्था करता है।

2.07. **बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान प्रकोष्ठ:** आईपीआर संवर्धन एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) का उद्देश्य "क्रिएटिव इंडिया;इनोवेटिव इंडिया: "(रचनात्मक भारत; अभिनव भारत) की घोषणा के साथ राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति का प्रभावी कार्यान्वयन करना है।

2.08. **कॉपीराइट कार्यालय:** कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकारों के संवर्धन के लिए तत्कालीन योजना का उद्देश्य भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों में विश्व स्तर की गुणवत्ता और वैविध्यपूर्ण मानव संसाधन का सृजन करना था ताकि गतिशील ज्ञानमय समाज की चुनौतियों का सामना किया जा सके जिसमें आईपी आउटपुट में सुधार और आईपी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आवश्यक कौशल विकास पर ध्यान दिया जाना शामिल है और जिसका मिशन एक बहु-विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से आईपी प्रबंधन, प्रवर्तन जागरूकता, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में सामर्थ्य और क्षमता का सृजन करना है। योजना (जिसका नाम बदल कर समग्र शिक्षा और शिक्षा जगत के लिए आईपीआर में अध्यापन एवं अनुसंधान योजना कर दिया गया है) को संस्थानों में आईपी शिक्षण पर विशेष जोर देने के साथ ही आईपीआर के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन/अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आईपीआर नीति के अनुसार संशोधित किया गया है।

2.10. **कॉपीराइट और आईपीआर का संवर्धन:** कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकारों का संवर्धन योजना का उद्देश्य भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों में विश्व स्तर की गुणवत्ता और विविधतापूर्ण मानव संसाधन का सृजन करना था ताकि गतिशील ज्ञानमय समाज की चुनौतियों का सामना किया जा सके जिसमें आईपी आउटपुट में सुधार और आईपी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आवश्यक कौशल विकास पर ध्यान दिया जाना शामिल था और जिसका मिशन एक बहु-विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से आईपी प्रबंधन, प्रवर्तन जागरूकता, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में सामर्थ्य और क्षमता का सृजन करना था। योजना (जिसका नाम बदल कर आईपीआर चेर संस्थान योजना कर दिया गया) को संस्थानों में आईपी शिक्षण पर विशेष जोर देने के साथ ही आईपीआर के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन/अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आईपीआर नीति के अनुसार संशोधित किया गया है।

3.01. **पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन:** इसमें संगठन की स्थापना संबंधी लागतों हेतु प्रावधान है जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 तथा इनके अंतर्गत बने अनेक नियमों का संचालन करता है। यह संगठन विस्फोटकों के विनिर्माण, स्वामित्व, बिक्री, इस्तेमाल, परिवहन, आयात/निर्यात हेतु लाइसेंस प्रदान करता है। यह कार्यालय इन अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले सभी मुद्दों पर सभी प्राधिकरणों को सलाह देता है तथा पुलिस, हवाई अड्डा सुरक्षा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों आदि को विस्फोटक पहचानने का सघन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

3.02. **नमक आयुक्त:** यह संगठन नमक के उत्पादन लक्ष्यों की आयोजना तथा नमक के वितरण, मूल्य निगरानी अध्ययन एवं विभागीय नमक भूमि की देखभाल, नमक संबंधी मानकों तथा गुणवत्ता को बनाए रखने, नमक के निर्यात हेतु उत्तरदायी है तथा राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम (एनडीडीसीपी) के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है। इसके बजट में संगठन के स्थापना प्रभार तथा विकास/कल्याण कार्य हेतु प्रावधान शामिल है।

3.03. **प्रशुल्क आयोग:** भारत सरकार द्वारा 2 सितम्बर, 1997 को स्थापित आयोग के संस्थापन खर्चों को पूरा करने के लिए।

3.04. **बॉयलर सर्वेक्षण:** बॉयलर सर्वेक्षण हेतु अनुसंधान अध्ययन और बॉयलर अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान।

4. **भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी):** भारतीय फुटवियर चमड़ा और सहायक उपकरण विकास कार्यक्रम (आईएफएलएडीपी) का मुख्य उद्देश्य, चमड़ा क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना, चमड़ा क्षेत्र के लिए पर्यावरण संबंधी अपेक्षाओं पर ध्यान देना, अतिरिक्त निवेश, रोजगार सृजन और उत्पादन में वृद्धि को सुविधाजनक बनाना है।

5. **औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूस):** यह औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता अवसंरचना प्रदान करके उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए है। चयनित कार्यात्मक क्लस्टरों में अवसंरचना विकास, संबंधित राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।

6. **मूल्य एवं उत्पादन आंकड़े:** एकत्रित आंकड़ों की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है और जांच पत्रों के माध्यम से मासिक आधार पर क्षेत्रीय अधिकारियों को फीडबैक भेजा जाता है। मासिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का नियमित संकलन और प्रेषण, निर्माता मूल्य सूचकांक (पीपीआई) का विकास और प्रयोगात्मक सेवा मूल्य सूचकांक (एसपीआई) का विकास और प्रेषण।

7. **राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी):** राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) की स्थापना, देश में औद्योगिक गलियारों के एकीकृत विकास के लिए की गयी है। एनआईसीडीआईटी देश में औद्योगिक गलियारों संबंधी आयोजना तथा उनके विकास का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह परिवहन संपर्क से जुड़े स्मार्ट सिटीज के साथ इन गलियारों के विकास को समन्वित करता है जो कि विनिर्माण क्षेत्र तथा शहरीकरण के मामले में देश को विकसित करने संबंधी कार्यनीति के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।

8. **अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना (एकेआईसी):** उत्तरी और पूर्वी भारत के सघन जनसंख्या वाले राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर (एकेआईसी) की परिकल्पना की गई है। एकेआईसी को ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (ईडीएफसी) के चारों ओर मुख्य आधार के रूप में और एक राजमार्ग तंत्र के रूप में भी तैयार किया जाएगा, जो रूट पर मौजूद है।

9. **प्रदर्शनी-सह-अभिसमय केन्द्र, द्वारका:** प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केन्द्र को देश में वैश्विक प्रदर्शनियों और सम्मेलनों को आकर्षित करने वाली प्रतिष्ठित संरचना के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

10. **निवेश संवर्धन हेतु योजना:** विभाग ने मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की है, जो भारत को निवेश लक्ष्य और विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक वैश्विक संवर्धनात्मक अभियान है। इस पहल का उद्देश्य भारत को एक निवेश स्थल के रूप में प्रोत्साहित करना तथा कार्यबल, अवसंरचना, कच्चे माल तथा अन्य सुविधाओं की अपार क्षमता वाले देश के रूप में स्थापित करना है। मेक इन इंडिया पहल को प्रोत्साहित करने के लिए डीआईपीपी द्वारा अन्यों के साथ-साथ निवेशक सुविधा, निवेशक आऊटरीच, मीडिया संवर्धन तथा निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को सहायता प्रदान करने जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

11. **राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन की स्कीम:** इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित निधि, राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण जोन्स की मास्टर प्लानिंग संबंधी लागत को पूरा करने के लिए है।

12. **व्यापार करने की सुगमता (ई-बिज परियोजना):** ई-बिज मिशन मोड परियोजना राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत 31 मिशन मॉड परियोजनाओं में से एक के रूप में शुरू हुई थी जिसका उद्देश्य केंद्रीय राज्य तथा स्थानीय सरकारों की सभी व्यवसाय

तथा निवेश संबंधी विनियामक सेवाओं को एक एकल पोर्टल पर उपलब्ध कराकर अनेक कार्यालयों में जाने अथवा अनेक वेबसाइटों पर जाने की निवेशकों अथवा व्यवसायियों की जरूरत को समाप्त करते हुए भारत में एक निवेशक अनुकूल इकोसिस्टम का निर्माण करना है।

13. **निधियों का कोष:** स्टार्टअप्स को वित्तपोषण सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने फंड्स ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (एफएसएस) बनाया है। यह एफएसएस विभिन्न स्टार्टअप्स के इकटिरी और इकटिरी लिंकड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश के लिए बैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के कोष में योगदान देगा।

15. **स्टार्टअप इंडिया:** स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य, उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्टार्टअप्स के विकास के लिए अनुकूल इकोसिस्टम सृजित कर नवाचार को बढ़ावा देना है। इस पहल द्वारा भारत के आर्थिक परिदृश्य में उद्यमशीलता अवसरचना को काफी समय से आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य योजना के तहत 19 कार्टवाई मर्दे हैं जिनमें "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "निधियन सहायता और प्रोत्साहन" और "उद्योग-शिक्षा जगत की साझेदारी और इनक्यूबेशन" जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

16. **व्यापार करने की सुगमता:** परियोजना का उद्देश्य भारत में केंद्र और राज्य की स्थानीय सरकारों में सभी व्यवसाय और निवेश से संबंधित विनियामक सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाकर एक व्यापार और निवेशक अनुकूल पारिस्थिति का तंत्र तैयार करना है।

17. **पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी):** पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी) के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित नए यूनिटों को उनके पूंजीगत निवेश ब्याज, बीमा एवं परिवहन लागत तथा कर-लाभों के संदर्भ में प्रोत्साहन दिया जाता है।

18. **परिवहन/ माल भाड़ा सविसडी स्कीम:** 22.11.2016 से परिवहन / मालभाड़ा राजसहायता योजना (एफएसएस), 2013 को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, 22.11.2016 की अधिसूचना जारी करने की तारीख से पहले इस योजना के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां 21.11.2021 तक इस योजना के लाभों के लिए पात्र होंगी।

19. **विशेष श्रेणी के राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज:** जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से औद्योगिक इकाइयों के लिए इन राज्यों हेतु औद्योगिक विकास योजनाएं शुरू की गई हैं।

20. **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में औद्योगिक इकाइयों को ब्याज सविसडी:** आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों को वित्त मंत्रालय के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है।

21. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों के लिए केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी के रिफंड के लिए है।

22.01. **स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता:** इसके अंतर्गत, स्वायत्त संस्थाओं यथा भारतीय गुणवत्ता परिषद्, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) (एनआईडी, भोपाल, एनआईडी जोरहाट, एनआईडी कुरुक्षेत्र और एनआईडी विजयवाड़ा), केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद्, केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के लिए परियोजना आधारित सहायता की व्यवस्था है।

22.02. **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन:** डब्ल्यूआईपीओ में भारत की सदस्यता संबंधी अंशदान का प्रावधान किया गया है।

22.03. **एशियाई उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन:** एशियाई उत्पादकता संगठन और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन में भारत की सदस्यता हेतु अंशदान प्रदान करता है।

22.04. **स्वायत्तशासी निकायों को सहायता:** इसके तहत, स्वायत्त संस्थाओं यथा राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद्, सीमेंट उद्योग विकास परिषद्, कागज लुगदी और संबद्ध उद्योग विकास परिषद् और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के लिए परियोजना आधारित सहायता की व्यवस्था है।